"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 14] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 15 जनवरी 2013—पौष 25, शक 1934

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2013

क्रमांक 377/डी. 09/21-अ/प्रारू./छ. ग./13.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 07-01-2013 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एल. चरयाणी, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 3 सन् 2013)

छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) अधिनियम, 2012

छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 2006 (क्रमांक 20 सन् 2006) को संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) अधिनियम, 2012 कहलायेगा.

   (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 5 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 2006 (क्रमांक 20 सन् 2006) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 5 की उप-धारा (3) के परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

   "परन्तु राज्य सरकार, विशेष परिस्थितियों में, कारण अभिलिखित करते हुए, पदावधि में एक बार में एक वर्ष की वृद्धि कर सकेगी, किन्तु किसी भी दशा में तीन वर्ष से अधिक की वृद्धि नहीं की जायेगी."

धारा 8 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (10) के परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

   "परन्तु राज्य सरकार, विशेष परिस्थितियों में, कारण अभिलिखित करते हुए, पदावधि में एक बार में एक वर्ष की वृद्धि कर सकेगी, किन्तु किसी भी दशा में तीन वर्ष से अधिक की वृद्धि नहीं की जायेगी."

धारा 11 का संशोधन.

4. मूल अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (10) के परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

   "परन्तु राज्य सरकार, विशेष परिस्थितियों में, कारण अभिलिखित करते हुए, पदावधि में एक बार में एक वर्ष की वृद्धि कर सकेगी, किन्तु किसी भी दशा में तीन वर्ष से अधिक की वृद्धि नहीं की जायेगी."

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2013

क्रमांक 377/डी. 09/21-अ/प्रारू./छ. ग./13.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 3 सन् 2013) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. एल. चरयाणी, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 3 of 2013)

THE CHHATTISGARH SINCHAI PRABANDHAN ME KRISHKON KI BHAGIDARI (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2012

An Act to amend the Chhattisgarh Sinchai Prabandhan Me Krishkon Ki Bhagidari Adhiniyam, 2006 (No. 20 of 2006).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-third Year of the Re-public of India, as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Sinchai Prabandhan Me Krishkon Ki Bhagidari (Sanshodhan) Adhiniyam, 2012.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 5.

2. For proviso to sub-section (3) of Section 5 of the Chhattisgarh Sinchai Prabandhan Me Krishkon Ki Bhagidari Adhiniyam, 2006 (No. 20 of 2006) (hereinafter referred to as the Principal Act), the following shall be substituted, namely :—

"Provided that the State Government under special circumstances, by assigning reasons, may extend the term of office upto one year at one time but in no case it shall be extended for more than three years."

Amendment of Section 8.

3. For proviso to sub-section (10) of Section 8 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely :—

"Provided that the State Government under special circumstances, by assigning reasons, may extend the term of office up to one year at one time but in no case it shall be extended for more than three years."

Amendment of Section 11.

4. For proviso to sub-section (10) of Section 11 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely :—

"Provided that the State Government under special circumstances, by assigning reasons, may extend the term of office up to one year at one time but in no case it shall be extended for more than three years."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.